प्रकरण संख्या 1/2018 आबला व अन्य बनाम कावा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.01.2019	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रार्थी/अपीलान्ट तथा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट दोनों सहखातेदार हैं। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की चाही कि विपक्षीगण अजनवी क्रेता होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा कृषि भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 09.02.2018 से अपीलान्ट/प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.02.2018 को पेश की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 से 14 की ओर से वकील श्री राजकुमार जैन उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तबल की जाकर उभयपक्षों की सुनी गयी एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये उपरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में विधि के सुस्थापित सिद्धान्त अनुसार किसी सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा (विशेष रूप से तब जब कि अजनवी क्रेता रेकार्ड में प्रविष्ट हो चुका हो)। प्रकरण में यह भी सुस्पष्ट है कि सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग विभाजन के साथ की जानी चाहिए, परन्तु यह तथ्य मूलवाद का विषय है। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा कब्जे बाबत् जो राहत चाही गयी है, उस बाबत् हम अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर कोई विवेचन करना प्रथम दृष्टया प्रकरण बाबत् उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि बिना विधिवत विभाजन कौन	

किस आराजी पर काबिज है तथा किसका किस आराजी पर स्वत्व है, यह अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर तय नहीं किया जा सकता, परन्तु यदि बिना विभाजन के कोई सहखातेदार किसी भूमि पर निर्माण कर लेता है तो इससे पेंचीदगियां बढ़ती है तथा प्रकरण में अंतिम निस्तारण में जटिलता तथा वाद की बहुतला बढ़ती है तथा सामान्यता भी बिना विधिवत रूपान्तरण कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण के सन्दर्भ में इन तथ्यों का विवेचन किये बिना वादी/अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। हम अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण इस हद तक पाते हैं कि रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण विवादित भूमि में बिना विधिवत विभाजन एवं रूपान्तरण के किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं करें। तद्नुसार इस स्तर पर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त भी अपीलान्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में रहते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व दिनांक 09.02.2018 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण को मूलवाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि में बिना विधिवत विभाजन एवं रूपान्तरण के किसी प्रकार का नव निर्माण नहीं करें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 1/2018 आबला व अन्य बनाम कावा व अन्य

प्रकरण संख्या 1/2018 आबला व अन्य बनाम कावा व अन्य